ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

श्री रॉकी जेठानी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, सिवनी **Case No. L0029413**

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	पुनश्च 10.09.13 आवेदक अनुपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री अजय दुबे, एडवोकेट उपस्थित । 1. उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उसे अस्थायी कनेक्शन देने के बाद उसके आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर भी स्थाई कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । 2. अनावेदक ने जो जवाब प्रस्तुत किया है उसके अनुसार उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन विधिवत् रूप से जारी कर दिया गया है । उसके द्वारा चाही गई सहायता की प्रतिपूर्ति हो जाती है, ऐसी स्थिति में विवाद शेष न रहने से अभ्यावेदन निरस्त किया जाए । इसके अतिरिक्त यह आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है कि उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । 3. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जो निर्देश जारी किए जाते हैं उन निर्देशों के अनुसरण में उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में कनेक्शन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण हो जाता है । जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है इस प्रयोजन हेतु क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का कोई प्रावधान भारतीय विद्युत अधिनियम तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम अथवा उपनियमों में नहीं है, अतः उपभोक्ता वांछित क्षतिपूर्ति पाए जाने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है । 4. अतः आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी के विरूद्ध जो शिकायत प्रस्तुत की थी उस शिकायत का निराकरण विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नियमानुसार किया जा चुका है, अतः उपभोक्ता और विद्युत वितरण कम्पनी के बीच विवाद शेष न रहने से उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है । 5. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	